# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

## प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम ईटडिया तहसील फुलियाकलां

प्रकरण संख्या – 76/2020

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1 मु. आरती पुत्री मेवाराम कुम्हार उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
2 आशाराम पिता घासी कुम्हार उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
3 ओमप्रकाश पिता घासी कुम्हार उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
4 मु. कोमल पुत्री मेवाराम नावालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता घीसी पत्नि मेवाराम कुम्हार उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
5 मु. गमान पुत्री मेवाराम कुम्हार उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
6 घीसी पत्नि मेवाराम कुम्हार उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
7 नोसी पत्नि घासी कुम्हार उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
8 प्रिंका पुत्री मेवाराम कुम्हार उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
9 मथरा पिता मेवाराम कुम्हार उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
10 रूघनाथ पिता मेवाराम कुम्हार उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
11 मु. लाड पुत्री घासी कुम्हार उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
12 सुरजकरण पिता माधु कुम्हार उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
13 सोनू पुत्री मेवाराम कुम्हार उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

————( प्रार्थीगण)

वनाम

1 घीसी पिता उदा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
2 लादु पिता देवा जाट उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
3 रघुवीर पिता जगदीश नायक उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
4 भैरू जाट उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
5 सुखदेव पिता कल्याण प्रजापत उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
6 पूसा पिता कल्याण प्रजापत उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

————( अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता– श्री सुनील कुमार शर्मा

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात**

## निर्णय

दिनांक – 11.10.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 07.09.2021 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम ईटडिया पटवार मण्डल ईटडिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 424 के **आ.न. 1434, 1435 रकबा 2.03 हैक्टयर, भूमि** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.11.29 11:10:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 07.09.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस वाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण अपना पक्ष रखने, हाजिर नही आये। इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम ईटडिया दिनांक 11.10.2021 के लिए पंजीवद्ध किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम ईटडिया पटवार मण्डल ईटडिया भू. अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 424 के **आ.न. 1434, 1435 रकबा 2.03 हैक्टयर,** भूमि की पत्थरगढ़ी बसागलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बावत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकंला, जिला भीलवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.11.29 11:10:28 IST
Reason: SelfAttested